(Worth Reportable)

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए. / 4807 / 2012 / उदयपुर

डॉ0 पृथ्वीराज पुत्र स्व0 श्री शंकरलाल मालीवाल, निवासी 337, चाणक्यपुरी, हिरणमगरी, सेक्टर–4, उदयपुर।

–– प्रार्थी

बनाम

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र गमेर सिंह राजपूत निवासी नवलसिंह जी का गुडा, हाल 105, नाकोडा नगर, प्रताप नगर, उदयपुर।

–– अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री बी. एल. नवल, सदस्य

उपस्थित :–
(1) श्री चांद मल, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री सम्पत लाल बोहरा, अभिभाषक अप्राथी।

निर्णय

दिनांक : 22 मई, 2013

हस्तगत निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अन्तर्गत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 24 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 14–05–2012 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई हैं।

2– निगरानी के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा धारा 188 अधिनियम, 1955 के तहत वादपत्र उप जिला कलक्टर, गिर्वा के न्यायालय में ग्राम मौजा देबारी स्थित आराजी खसरा नम्बर 5385 / 1832 रकबा 0.3260 को स्वयं द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र क्रय करना बताते हुये प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधज्ञा के अनुतोष हेतु पेश किया। विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, गिर्वा के निर्णय दिनांक 02–02–2012 से दावा वादी डिक्री किया गया जिसके विरोध में अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष अप्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा अपील पेश की तथा अपील के दौराने दावे में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया गया। अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 14–05–2012 से अपीलार्थी / अप्रार्थी का आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का

आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये दावे में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की है।

3— हमने उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4— विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अपील के दौरान पेश किया गया है जब कि संशोधित जाब्ता दीवानी के प्रावधान आदेश 6 नियम 17 के तहत किसी भी प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 वाद विचारण से पूर्व ही पेश किया जा सकता है। विचारण शुरु होने के बाद प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया जा सकता है। जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो। इसके अतिरिक्त आदेश 6 नियम 17 के प्रार्थना पत्र में जो संशोधन चाहा गया है, वह सभी आपत्तियां अप्रार्थी—प्रतिवादी द्वारा अपने जबाबदावे में उठा ली गई हैं और उसी के अनुसार तनकियात कायम की जा कर वाद का निस्तारण किया गया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी तर्क है कि जिन दृष्टान्तों के आधार पर अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है वह इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये सारे दृष्टान्त जाब्ता दीवानी के प्रावधान आदेश 6 नियम 17 में संशोधन होने से पूर्व के हैं। संशोधन के पश्चात् राजस्व मण्डल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिप्रादित किया है कि वाद विचारण होने के पश्चात् आदेश 6 नियम 17 के प्रार्थना पत्र पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में योग्य अभिभाषक ने आर.बी.जे.(10) 2003 पेज 435, आर.बी.जे. (15) 2008 पेज 289, आर.आर.टी. 2007(1) पेज 297 की नजीरें पेश करते हुये निगरानी स्वीकार कर निगराधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

5— अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि वाद में संशोधन किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। निगरानी खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में योग्य अभिभाषक ने 2006 (2) आर.एल.डब्लू. पेज 1687, 2009 (2) आर.एल.डब्लू. पेज 1581, 2006(3) आर.एल.डब्लू. पेज 1882, 2006(4) आर.एल.डब्लू. पेज 3360, 2007(3) आर.एल.डब्लू. पेज 2583, 2008(4) आर.एल.डब्लू. पेज 3681, 2008(4) आर.एल.डब्लू. पेज 3593, 2007(1) आर.एल.डब्लू. पेज 859, 1978 ए.आई.आर दिल्ली पेज 233, 2007 डब्ल्यू. एल. सी. राजस्थान (यू.सी) पेज 363, आर.आर.टी. 2006—07 पेज 432, 470 की नजीरें पेश कीं।

6— हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7— प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा धारा 188 अधिनियम, 1955 के तहत वादपत्र उप जिला कलक्टर, गिर्वा के न्यायालय में ग्राम मौजा देबारी स्थित आराजी खसरा नम्बर 5385 / 1832 रकबा 0.3260 को स्वयं द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र क्रय करना बताते हुये प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधज्ञा के अनुतोष हेतु पेश किया। विचारण

न्यायालय उप जिला कलक्टर, गिर्वा के निर्णय दिनांक 02–02–2012 से दावा वादी डिक्री किया गया जिसके विरोध में अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष अप्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा अपील पेश की तथा अपील के दौराने दावे में पेश जवाब दावे में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया गया। अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य आदेश दिनांक 14–05–2012 से अपीलार्थी / अप्रार्थी का आदेश 6 नियम 17 सी.पी. सी. का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये दावे में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की है।

8– इस प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी अपील में पेश किया गया है। जाब्ता दीवानी में आदेश 6 नियम 17, व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दिनांक 01–7–2002 से संशोधन होने के बाद आदेश 6 नियम 17 के तहत किसी भी प्रकरण में प्रार्थना पत्र वाद विचारण होने के पूर्व ही पेश किया जा सकता है, वाद विचारण होने के पश्चात् संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में आदेश 6 नियम 17, व्यवहार प्रक्रिया संहिता का उल्लेख आवश्यक है :–

आदेश 6 नियम 17, व्यवहार प्रक्रिया संहिता :–

> **Amendment of pleadings**— The Court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties.
>
> Provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, unless the Court comes to the conclusion that in spite of due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of trial.

इस प्रावधान में परन्तुक दिनांक 01–7–2002 से संशोधित होकर जोड़ा गया है।

9– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को उल्लेखित किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं :–

(1) 2007 (1) आर.आर.टी. पृष्ठ 297 (उच्चतम न्यायालय) : अजेन्द्रा प्रसाद जी एन. पाण्डे एवं अन्य बनाम स्वामी केशवप्रकेशदास जी एन. एवं अन्य,
(2) 2008 (15) आर.बी.जे. पृष्ठ 289 : पेमाराम बनाम छोटी देवी तथा
(3) 2003 (10) आर.बी.जे. पृष्ठ 435 : शकुन्तला बनाम मैसर्स देवेन्द्र कुमार मूलचंद।

10— इन न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। 2003 (10) आर. बी.जे. पृष्ठ 435 को छोड़कर शेष दोनों न्याय सिद्धांतों का संबंध दावे में प्रस्तुत जवाब दावे के संशोधन से है। इन दोनों न्यायिक दृष्टांतों में अपील स्तर पर जवाब दावे में संशोधन करने का कोई प्रश्न शामिल नहीं है। अतः ये दोनों न्यायिक दृष्टांत यहां चस्पा नहीं होते। 2003 (10) आर.बी.जे. पृष्ठ 345 उनवानी शकुन्तला बनाम मैसर्स देवेन्द्र कुमार मूलचंद इस प्रकरण से मेल खाता है, जिसमें कि अपील स्तर पर जवाब दावे में संशोधन चाहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश 6 नियम 17, व्यवहार प्रक्रिया संहिता में अपने मत को इस प्रकार स्पष्ट किया है :—

2003 (10) आर.बी.जे. पृष्ठ 345 उनवानी शकुन्तला बनाम मैसर्स देवेन्द्र कुमार मूलचंद :—

CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 : SECTION 115 AND ORDER 6 RULE 17 - Amendment of pleadings at appellate stage can not be allowed- As per the amended provision of rule 17 of Order 6 C.P.C. which has been substituted by C.P.C. amendment Act 2002w.e.f. 1-7-2002 no application for amendment can be allowed after the trial has commenced unless the Court comes to the conclusion that inspite of due diligence the party seeking the amendment in the pleadings could not have raised the matter before the commencement of the trial. Further hearing of appeal at appellate stage is not a part of trial of suit. So in view of this amended provision, no amendment seems to be possible at the appellate stage. Revision Dismissed.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से हम सहमत है एवं हस्तगत प्रकरण में यह पूर्णतः चस्पा होता है।

11— अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बारह न्यायिक दृष्टांतों में 2006 (2) आर.एल.डब्लू. पेज 1687 तथा ए.आई.आर दिल्ली पेज 233 अपील स्तर पर जवाब दावा में संशोधन से संबंधित है। शेष 10 न्यायिक दृष्टांत 2009 (2) आर.एल.डब्लू. पेज 1581, 2006 (3) आर.एल. डब्लू. पेज 1882, 2006 (4) आर.एल.डब्लू. पेज 3360, 2007 (3) आर.एल. डब्लू. पेज 2583, 2008 (4) आर.एल.डब्लू. पेज 3681, 2008 (4) आर.एल. डब्लू. पेज 3593, 2007 (1) आर.एल.डब्लू. पेज 859, 1978, 2007 डब्ल्यू. एल. सी. राजस्थान (यू.सी) पेज 363, आर.आर.टी. 2006—07 पेज 432, 470, का संबंध दावे के दौरान ही जवाब दावे में संशोधन से है। अतः ये दस न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते। शेष दो नजीरें जो अपील के समय पेश आदेश 6 नियम 17, व्यवहार प्रक्रिया संहिता से है, उनका विश्लेषण औचित्यपूर्ण है, जो निम्न प्रकार है :—

2006 (2) आर.एल.डब्लु. पृष्ठ 1687 : मुरलीधर बनाम नन्दकिशोर व अन्य :—

(a) **C.P.C., Order 6 Rule 17 and Order 19 Rule 1** - During the first appeal application filed for amendment of written statement- Eviction Suit decreed on the ground of reasonable and bonafide necessity- Change of circumstances-Held - Application under Order

6 Rule 17 allowed with a condition to file an affidavit as required u/order 7 Rule 1 C.P.C. along with the document annexed with the application- Opportunity be given to other side also.

इस न्यायिक दृष्टांत में अपील पेश करने के बाद में घटनाक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, उसको लेकर जवाब दावा संशोधित करने का हवाला है, जबकि हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की कोई पश्चात्वर्ती घटना नहीं घटी है और न ही कोई नया घटनाक्रम ही घटित हुआ है। अतः यह न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण से मेल नहीं खाता।

1978 <u>ए.आई.आर (दिल्ली) पृष्ठ 233 : जगदीश व अन्य बनाम हरसरूप</u> :–

(A) **<u>Civil P.C. (5 of 1908) O. 6 R. 17</u>**- Amendment of the plaint - Includes amendment at appellate stage - Words "*at any stage of the proceedings*" occurring in O. 6 R. 17 and S. 40 (2) Proviso, Specfic Relief Act. (Specfic Relief Act, (1963), S. 40 (2) Proviso)

यह नजीर आदेश 6 नियम 17, व्यवहार प्रक्रिया संहिता में दिनांक 01–7–2002 को संशोधन से पहले की है। नियम 17 में जो परन्तुक जोड़ा गया है, उसके अनुसार दावे में ट्रॉयल चालू हो जाने के बाद बिना न्यायालय की अनुमति के संशोधन नहीं किया जा सकता एवं वह संशोधन युक्तियुक्त होना चाहिए। अतः इस न्यायिक दृष्टांत का भी हस्तगत प्रकरण से कोई औचित्य स्थापित नहीं होता।

12– शकुन्तला बनाम देवेन्द्र कुमार मूलचद – 2003 (10) आर.बी. जे. पृष्ठ 435 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय का पैरा 6 व 7 सुसंगत है, जिसे उद्धरत करना समीचीन होगा :–

<u>Para 6</u> :-

"This apart, as per the amended provision of rule 17 of Order 6 CPC which has been substituted by CPC Amendment Act, 2002 w.e.f. 1-7-2002 no application for amendment can be allowed after the trial has commenced. Unless the court comes to the conclusion that inspite of due diligence the party seeking the amendments in the pleadings could not have raised the matter before the commencement of the trial. This court has in the case of Munni Lal vs. Sarabjit Singh AIR 1984 Rajasthan, 22. While interpreting the expression, the trial of any suit has clearly held that hearing of appeal by appellate court is not a part of trial of suit. So, in view of this amended provision, no amendment seems to be possible at the appellate stage, though as per the earlier provision as interpreted by the Hon'ble Apex Court amendment could be allowed even at the appellate stage."

<u>Para 7</u> :-

In this view of the matter, therefore this revision petition deserves to be and is hereby dismissed. However, the petitioner

may raise his grievence sought to be raised in this revision in appropriate forum. If so permitted by law.

13— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि आदेश 6 नियम 17, व्यवहार प्रक्रिया संहिता में संशोधन के पश्चात् एवं ट्रॉयल शुरू हो जाने पर जवाब दावे में संशोधन अनुमत नहीं किया जा सकता एवं अपीलीय न्यायालय में सुनवाई दावे के ट्रॉयल का हिस्सा नहीं है।

14— इस अभिमत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 6 नियम 17, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का आदेश विधि विरूद्ध तथा मनमाना होने से खारिज योग्य है।

15— अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में आदेश 6 नियम 17, व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र, जिसमें प्रतिवादी–अप्रार्थी अपना जवाब दावा संशोधित कराना चाहता है के बिन्दुओं के अवलोकन के पश्चात् प्रतिवादी–अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी द्वारा जो संशोधन चाहा गया है वह सभी आपत्तियां अप्रार्थी–प्रतिवादी द्वारा अपने जबाब दावा में उठा ली गई हैं और उसी के अनुसार वाद में तनकियात कायम किया जा कर वाद का निस्तारण किया गया है। यह तथ्य अप्रार्थी–प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के पृष्ठ संख्या–3 के बिन्दु संख्या 3 की अंतिम लाईनों, पृष्ठ संख्या–4 पर बिन्दु संख्या 5 की 5, 6, 7 लाईनों एवं 15, 16 लाईनों से स्पष्ट होती है। तनकी नम्बर 2 का भी वादी के कब्जे को लेकर निर्णय किया गया है।

16— उपरोक्त विवेचन एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जा कर विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निगराधीन आदेश दिनांक 14–05–2012 न्यायिक प्रावधानों एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एल. नवल)
सदस्य